

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 1 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1492-यू 3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: रजिमेंट/36/2008/286 ए-ए

दिनांक: 11/11/2020

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।

(प्रो.एस. मुखर्जी) 11/11/2020

कार्यवाहक कुलपति

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- डॉ. (मेजर) शशि भूषण, उपकुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी
- उप कुलसचिव, प्रशासन /स्थापना)
- डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक आईटीसी केन्द्र- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- व्यक्तिगत पंजी
- संबंधित पंजी
- कार्यालय आदेश पंजी
-